

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- ...03/06/2024

अधि० संख्या ग्रा०वि०-3/स्था०-6-7/2024 4165813.. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-4570/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2207953 दिनांक 20.10.2023 के क्रम संख्या-79 पर अंकित पदाधिकारी श्री ओम राजपूत (अनुक्रमांक-113392, वरीयता क्रमांक-140/2023, गृह जिला-समस्तीपुर) को दिये गये द्वितीय प्रोन्नति के पदक्रम (वेतन स्तर-11) को विलोपित करते हुए उक्त तिथि से प्रथम प्रोन्नति के पदक्रम में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

2. श्री अरविन्द कुमार (अनुक्रमांक-135276/ वरीयता क्रमांक-100/2023, गृह जिला-मधुबनी) को दिनांक 20.10.2023 के प्रभाव से द्वितीय प्रोन्नति के पदक्रम में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

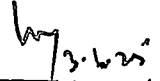
3. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। श्री राजपूत को वेतन स्तर-11 के पद का प्राप्त आर्थिक लाभ वसूलनीय नहीं होगा।

5. उपर्युक्त पदाधिकारी तत्काल अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही प्रभार ग्रहण करेंगे।

6. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मन्जु प्रसाद)

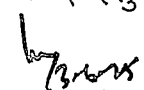
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4165813

दिनांक:- 03/06/2024

ग्रा०वि०-3/स्था०-3/स्था०-6-7/2024

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ जिला पदाधिकारी, सुपौल एवं औरंगाबाद/ उप विकास आयुक्त, सुपौल एवं औरंगाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, सुपौल एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

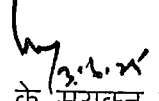

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 4165813

दिनांक:- 03/06/2025

ग्रा0वि0-3/स्था0-3/स्था0-6-7/2024

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री ओम राजपूत, परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, औरंगाबाद/ श्री अरविन्द कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल)/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14 को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव